न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 21/2025

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी (अभि.) श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम्

श्री मंगा सिंह पुत्र संतासिंह जाति रायसिख निवासी 26 ए(नई बिंजोर) अनूपगढ़

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

—::आदेश::— दिनांक 23.07.2025

इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक—11.09.2021 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मंगासिंह पुत्र श्री संतासिंह जाति रायसिख 26 ए नई बिंजोर अनूपगढ़ की दुकान के बाहर डीजल प्रदर्शित होने पर कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये, उक्त निर्देशों की पालना में मेरे द्वारा मंगासिंह पुत्र संतासिंह जाति रायसिख चक 26 ए नई बिंजोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंगासिंह द्वारा अपनी दुकान पर बिना कोई अनुज्ञापत्र के लगभग 100 लीटर डीजल एक हरे रंग के ड्रम में रखा हुआ पाया गया जिसमें डीजल पम्प करने का यंत्र लगा हुआ था। उक्त डीजल के संबंध में पूछताछ के दौरान विक्रय संबंधी कोई रिकॉर्ड नही रखने तथा अवैध तरीके से राहगीर व किसानों को डीजल बेचना बताया गया। मौके पर लगभग 100 लीटर डीजल मय ड्रम/गैलन/बोतल जब्त कर फर्म नारायण सिहं छाबड़ा एंड संस को सुपुर्द किया गया। तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त लगभग 100 लीटर डीजल को राजसात कर अंतरिम निस्तारण का आदेश प्रदान करें।

राजस्व(ग्रुप—1) की अधिसूचना क्रमांक/प.7(27) राज/2 /2023 —06221 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी.एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री पवन चुघ ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण गलत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर माननीय तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ द्वारा श्रीमान्जी के समक्ष पेश किए गए है क्योंकि प्रार्थी काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथाकथित दिनांक 11.09.2021 को प्रार्थी कृषि कार्यों हेतु 100 लीटर डीजल

लेकर अपने ग्राम चक 26 ए जा रहा था ऑन रोड़ श्रीमान् तहसीलदार द्वारा मुझ प्रार्थी को रोक कर डीजल ले जाने का बिल की मांग की चूंकि प्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से बिल प्राप्त नही किया था बिल ना होने की एवज में प्रार्थी का डीजल जब्त कर लिया गया। श्रीमान् तहसीलदार द्वारा दिनांक–11.09.2021 को फर्द मौका जब्ती गलत तथ्यों के आधार पर बनाई गई है चूंकि प्रार्थी से उसकी दुकान पर डीजल जब्त करना एवं उसके बेचान करने के तथ्य दर्ज किए गए है जबकि फर्द मौका जब्ती कानूनन सही नही है क्योंकि फर्द मौका पर जब्ती पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही है ना ही चक ग्राम चक 26 ए के किसी मौतवीर व्यक्ति को बुलाकर उक्त फर्द मौका की तस्दीक करवाई गई है तथा ना ही इस फर्द मौका जब्ती में ऐसा कोई व्यक्ति दर्शित किया गया है कि कोई व्यक्ति प्रार्थी से अवैध रूप से कोई डीजल खरीद कर रहा हो इस प्रकार उक्त फर्द जब्ती कानूनन विधि विरूद्ध होने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध नही पढी जा सकती है। तहसीलदार द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में मुझ प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी परिवाद पेश नही किया है और ना ही किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा अवैध रूप से डीजल रखने व अवैध डीजल बेचान का दोषी पाया गया है आज रोज श्रीमान् तहसीलदार साहब को मुझ प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार से परिवाद पेश करने की अधिकारिता नही रही है क्योंकि उक्त परिवाद में भी अब अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रसंज्ञान नही लिया जा सकता क्योंकि परिवाद समयावधि में पेश नही करने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत मियाद बाहर हो चुका है। अतः मुझ प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाकर प्रार्थी से जब्तशुदा डीजल प्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश तहसीलदार, अनूपगढ़ को प्रदान करें।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य नही पाया गया कि जब्त डीजल के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज करवायी गई हो। पैट्रोलियम नियम–1934 की धारा–7 के अनुसार पैट्रोलियम वर्ग बी के तहत 2500 लीटर तक पैट्रोलियम की मात्रा परिवहन या भंडारण के लिए लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। ना ही कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध है जिससे प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी के द्वारा डीजल का अवैध रूप से बेचान साबित हुआ हो। अतः प्रार्थी के प्रति सहानूभूति रखते हुए व उसके कथनों पर विश्वास करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति प्रवर्तन निरीक्षक, उपखण्ड कार्यालय अनूपगढ़ एवं तहसीलदार, अनूपगढ़ को भिजवाते हुए जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को 07 दिवस में लौटाया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाए जाने हेतु पृथक से लिखा जावें।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ